न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

6

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का समूची बनाम रामफूल S/o भीमाकुम्हार समूची

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- 62/2018 निर्णय दिनाँक :- 29/1/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम समूची की आ.ख.न. 810/1 कुल रकबा 0.91 किस्म जमीन गैरमु० रा० में से 0.01 रकबे पर श्री रामफूल S/o भीमा कुम्हार पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूडा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनाँक .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी॰ खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामफूल S/o भीमा जाति मीणा निवासी समूची को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकववा आ.ख.न. 810/1 रकबा 0.91 में से 0.01 रकवे किस्म गैरमु०रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकवे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 2 paise का 50 गुणा 1.00 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी समूची भू.अ.निरी॰ खेरलीरेल .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

रा. रि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 80 8
वर्ष 2018-19 ...... 11 ......
की कायमी की गई
11/3/19